

अपर समाहर्ता का न्यायालय, रामगढ़।

भू-वापसी अपीलवाद संख्या-02/2022
राजकुमार उरांव बनाम मोहरर्म अंसारी वगै०

दिनांक

पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

अभ्युक्ति

15/4/2023
राजकुमार उरांव, पिता-स्व० बुधन उरांव, ग्राम-गेगदा, पो०- गेगदा, थाना-पतरातु, जिला-रामगढ़ के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता रामगढ़ के न्यायालय में दायर भू-वापसी वाद सं०-66/2015-16 राजकुमार उरांव बनाम मोहरर्म अंसारी वगै० में दिनांक-27.01.2017 को पारित आदेश के विरुद्ध अपील दायर किया गया है। अभिलेख के साथ निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न किया गया है।

भूमि की विवरणी निम्नवत है :-

क्र० सं०	मौजा	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा (एकड़ में)
1	गेगदा	32	119	0.52 एकड़
कुल-				0.52

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत भूमि मौजा-गेगदा, थाना सं०-28, थाना-पतरातु के खाता सं०-32, प्लॉट सं०-119, रकवा-0.52 एकड़ भूमि के खतियानी रैयत शनिचरवा उरांव हैं। आवेदक शनिचरवा उरांव के पोता है। भूमि सुधार उप समाहर्ता, रामगढ़ द्वारा वाद सं०-66/2015-16 के माध्यम से दिनांक-27.01.2017 को बिना तथ्यों व विधि पहलु की जाँच किये हुए, आदेश पारित किया गया है। विपक्षी अंचल अधिकारी, पतरातु से मिलिभगत करते हुए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों जो अनुसूचित जनजाति के हित में बनाया गया है, कि अनदेखी करते हुए इस प्रकार का आदेश पारित किया गया है। विपक्षी ने आवेदक को लगभग 6 वर्षों से बाजबरन बेदखल कर भूमि पर कब्जा कर लिया है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46-4(ए) में स्पष्ट उल्लेख है कि आदिवासी की भूमि का हस्तांतरण उपायुक्त के पूर्वानुमति के ही किया जाना है। विपक्षी द्वारा इस संबंध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। जिससे यह प्रमाणित हो कि प्रश्नगत भूमि का हस्तांतरण उपायुक्त की अनुमति से किया गया है।

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विधि-विरुद्ध बताते हुए, अपील आवेदन स्वीकृत करते हुए, निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज करने का अनुरोध किया गया।

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपीलार्थी दिनांक-23.02.2016 को भूमि सुधार उप समाहर्ता, रामगढ़ के न्यायालय में भू-वापसी का आवेदन दायर कर ग्राम-गेगदा, थाना-बासल, जिला-रामगढ़ के खाता सं०-32, प्लॉट सं०-119, रकवा-0.52 एकड़ भूमि की वापसी का अनुरोध किये। जिसका वाद सं०-66/2015-16 राजकुमार उरांव बनाम मोहरर्म अंसारी वगै० है। निम्न न्यायालय

(Handwritten signature)

के द्वारा अंचल अधिकारी, पतरातु से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, पतरातु के जांच प्रतिवेदन के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्ता, रामगढ़ द्वारा अपीलार्थी के भू-वापसी आवेदन दिनांक-27.01.2017 को अस्वीकृत कर दिये। जिसके विरुद्ध दिनांक-02.04.2022 को अपीलार्थी वर्तमान भू-वापसी का अपील दायर किये हैं। मौजा-गेगदा के खाता सं०-32, कुल रकवा-1.05 एकड़ भूमि पिछले भूकर निर्धारण सर्वे में शनिचरवा उरांव वल्द मरया उरांव के नाम से दर्ज है। शनिचरवा उरांव का परिवार सर्वे के समय राँची जिला में रहता था तथा उनके वंशज अभी भी राँची जिला में रहते हैं। खाता सं०-32 के रैयत भूमि का लगान जमीन्दार को नहीं दे सके। साथ ही भूमि पर कृषि कार्य बन्द कर दिये, जिस कारण भूमि फौती फिराती (एबनडन) हो गया। फलस्वरूप जमीन्दार खाता सं०-32 के भूमि को अपने कब्जा में ले कर कृषि कार्य कर दखलकार हुए। जमीन्दार इन्द्रदवन पाण्डेय ग्राम-गेगदा के खाता सं०-32, प्लॉट सं०-119, रकवा-0.52 एकड़ अन्य खाता, प्लॉट के कुल 1.05 एकड़ भूमि को उचित नजराना लेकर तथा सालाना मालगुजारी निर्धारित कर शेख अलाउद्दीन मियां को दिनांक-10.11.1994 को बंदोबस्त कर दिया तथा दखल-कब्जा देकर रैयत माना। पंजी-॥ के पेज सं०-53/1 में शेख अलाउद्दीन मियां के नाम से कायम है। शेख अलाउद्दीन मियां के मृत्यु के पश्चात् उनके वंशज दखलकार हुए। खतियानी रैयत द्वारा खाता सं०-32 के भूमि का परित्याग करने के पश्चात् खाता सं०-32 के सम्पूर्ण भूमि पर ग्राम के जमीन्दार दखलकार हुए थे। उक्त तथ्य को जमीन्दार द्वारा निष्पादित निबंधित बंदोबस्ती दस्तावेज एवं ग्राम लबगा के किशुन महतो के द्वारा दिनांक-06.09.1929 को निष्पादित निबंधित कबूलियत पत्र सं०-358 से होता है। आदिवासी रैयत खाता सं०-32 के भूमि का इस्तिफा 1929 के पूर्व जमीन्दार को दे दिये थे। द्वितीय पक्ष के पूर्वज वर्ष-1944 से प्रश्नगत भूमि को जमीन्दार से निबंधित बंदोबस्ती से हासिल किये हैं अर्थात् आदिवासी रैयत वर्ष-1929 के पूर्व से प्रश्नगत भूमि से बेदखल हैं। पूर्व में खतियानी रैयत के वंशज एतवा उरांव अंचल अधिकारी, पतरातु के कार्यालय में ग्राम-गेगदा के खाता सं०-32, प्लॉट सं०-119, रकवा-0.52 एकड़ का मालगुजारी निर्धारित कर जमाबंदी खोलने हेतु दिनांक-13.08.1999 को आवेदन दायर किये। आवेदन पर विविध वाद सं०-80/1999-2000 का अभिलेख खोल कर अंचल अधिकारी, पतरातु द्वारा जांच करवाया गया। जांच में पाया गया कि एतवा उरांव के दावे के भूमि पर अन्य रैयत दखलकार हैं तथा एतवा उरांव एवं इनके पूर्वज भूमि से लगभग 70 वर्षों पूर्व से बेदखल चले आ रहे हैं। सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए अंचल अधिकारी, पतरातु द्वारा अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्ता, रामगढ़ के पास उचित निर्णय हेतु भेजा गया। भूमि सुधार उप समाहर्ता, रामगढ़ भूमि से संबंधित सभी तथ्यों एवं कागजातों के विश्लेषण के पश्चात् एतवा उरांव के आवेदन को खारिज करते हुए, एतवा उरांव को अपने दावे के निपटारा हेतु व्यवहार न्यायालय में जाने का निर्देश दिये।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आदिवासी रैयत के बेदखली की अवधि 80-90 वर्षों का है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46-4(ए) के प्राक्धान के

अनुसार आदिवासी रैयत द्वारा भू-वापसी का आवेदन बेदखली के 12 वर्षों के अन्तर्गत दायर करना आवश्यक है। धारा-46 के अनुसार आदिवासी रैयत को गैर आदिवासी द्वारा बेदखल किया जाना आवश्यक है। वर्तमान मामले में आदिवासी रैयत को उत्तरवादी या उनके पूर्वज प्रश्नगत भूमि से बेदखल नहीं किये हैं, बल्कि उत्तरवादी के पूर्वज को जमीन्दार द्वारा भूमि बंदोबस्त किया गया है। प्रश्नगत भूमि के संबंध में अंचल अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि खाता सं०-32 की जमाबंदी पंजी-॥ में खतियानी रैयत एवं उनके वंशजों का कायम नहीं है तथा भूमि पर दखल-कब्जा नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी के अपील आवेदन को खारीज करने एवं निम्न न्यायालय के द्वारा भू-वापसी वाद सं०-66/2015-16 में दिनांक-27.01.2017 को पारित आदेश को यथावत् रखने का अनुरोध किया गया।

सरकारी अधिवक्ता ने बहस के दौरान कहा की प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की है तथा द्वितीय पक्ष के द्वारा जबरन कब्जा किये हुए है। अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46-4(ए) के प्रावधानों के तहत उक्त भूमि प्रथम पक्ष को वापस किया जा सकता है।

अंचल अधिकारी, पतरातु ने प्रतिवेदित किया है कि मौजा-गेगदा, थाना सं०-28, थाना-पतरातु, के खाता सं०-32, प्लॉट सं०-119, रकबा-0.52 एकड़ भूमि खतियानी रैयत शनिचरवा उरावं, पिता-मरया उरावं के नाम से रैयती आदिवासी खाते की भूमि दर्ज है। पंजी-॥ में खतियानी रैयत या उनके वंशजों का जमाबंदी कायम नहीं है तथा भूमि पर दखल-कब्जा भी नहीं है। उक्त भूमि द्वितीय पक्ष को कबुलियत बनाम ब हुक्म जनाब मैनेजर साहब बहादुर रामगढ़ राज पदमा के द्वारा प्राप्त है तथा तब से भूमि पर दखल-कब्जा है। मामला भू-वापसी का नहीं बनता है।


भूमि सुधार उप समाहर्ता, रामगढ़ द्वारा अपने आदेश फलक में यह प्रतिवेदित किया है कि दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिये गए दलीलों को सुनने, अंचल अधिकारी, पतरातु के द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन तथा द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गए कागजातों के अनुशीलन से प्रतीत होता है कि प्रश्नगत मामला स्वत्व वाद से संबंधित है। संबंधित पक्ष चाहें तो सक्षम न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

उभयपक्षों के विज्ञ अधिवक्ता के बहस को सुनने एवं संलग्न कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में प्रथम द्वारा खतियानी रैयत के वंशज होने के नाते भूमि पर दावा किया जा रहा है, जबकि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रश्नगत भूमि निबंधित बंदोबस्ती व कबुलियतनामा के आधार पर दावा किया जा रहा है। अंचल अधिकारी पतरातु द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि पंजी-॥ में खतियानी रैयत या उनके वंशजों का जमाबंदी कायम नहीं है तथा भूमि पर दखल-कब्जा भी नहीं है। उक्त भूमि द्वितीय पक्ष को कबुलियत पट्टा सं०-357 एवं 358, दिनांक-03.04.1929 के द्वारा प्राप्त है तथा तब से भूमि पर दखल-कब्जा है। भूमि सुधार उप समाहर्ता, रामगढ़ द्वारा अपने आदेश फलक में अंकित किया है कि प्रश्नगत मामला स्वत्व वाद से संबंधित है। संबंधित पक्ष चाहें तो सक्षम न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।


lung

वर्णित तथ्यों के विवेचन, निम्न न्यायालय के आदेश, विज्ञ अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत लिखित अभिकथन का अनुशीलन से स्पष्ट होता है कि भूमि सुधार उप समाहर्ता, रामगढ़ द्वारा विधि-सम्मत आदेश पारित किया गया है। ऐसी परिस्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।



अपर समाहर्ता,
रामगढ़।



अपर समाहर्ता,
रामगढ़।